

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :- हेमराज गुर्जर (आरएएस)  
प्रकरण संख्या:- 101/15

दायर दिनांक:- 03.09.2015

जीसीएमएस नं. 2016/00181

उनवान

विजय पुत्र किन्दुरी जाति मीना निवासी भुकरावली तहसील हिण्डौन जिला करौली  
राजस्थान

—वादीगण—02

बनाम

कुलराज पुत्र किन्दुरी जाति मीना निवासी भुकरावली तहसील हिण्डौन जिला करौली

—प्रतिवादीगण—09

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक:- 9-7-24

संक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 136, 188 के तहत दर्ज किया गया था उक्त प्रकरण में वादीगण एवं वादीगण वकील आज दिनांक को उपस्थित नहीं प्रकरण में बार-बार वादीगण एवं वादीगण वकील को आवाज दिलवाई गयी आवाज दिलवाने के बाबजूद वादीगण एवं वादीगण वकील उपस्थित नहीं। प्रकरण दिनांक 17.09.2015 से आज दिनांक तक तलवाना में विचाराधीन है। जिससे जाहिर होता है कि वादीगण एवं वादीगण वकील प्रकरण को आगे चलाने में रूचि नहीं ले रहे हैं। वादीगण एवं वादीगण वकील द्वारा न्यायालय आदेशों की अवहेलना की जा रही है। अतः मुकदमा न0 101/15 विजय बनाम कुलराज आदेश 9 नियम 5 सीपीसी के तहत अदम हाजिरी व अदम तकमील/पालना में खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 09.07.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

  
(हेमराज गुर्जर)

